न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण । (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 109/2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/212**
दायर दिनांक :– 21.05.2025   **निर्णय दिनांक :– 21.01.2026**

1. सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी चन्द्रनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी

–वादिनी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादिनी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादिनी की खरीदसुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 142/119 रकबा 2.9299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/120 रकबा 0.7770 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142/4 रकबा 3.9335 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा रणजीतनगर पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के वादिनी ने खरीद की थी जिसमें वादिनी का बचपन का एवं बोलता नाम चुकी पत्नी भागीरथराम टंकित किया हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भी भरा जाकर स्वीकृत हो चुका है। जबकि वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम है इसी नाम से वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि बने हुए है और घर परिवार व गांव में भी वादिनी को वर्तमान में सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादिनी का पूर्वानुसार नाम चुकी पत्नी भागीरथराम ही दर्ज है। वादिनी को अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर विकास कार्य या अन्य कार्य करने में वादिनी का नाम जमाबंदी में चुकी पत्नी भागीरथराम दर्ज होने से भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादिनी ग्राम रणजीतनगर पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 142/119 रकबा 2.9299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/120 रकबा 0.7770 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142/4 रकबा 3.9335 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादिनी के बचपन एवं बोलते नाम चुकी पत्नी भागीरथराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम के नाम से खातेदार काश्तकारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम रणजीतनगर पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 142/119 रकबा 2.9299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/120 रकबा 0.7770

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142/4 रकबा 3.9335 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादिनी का नाम चुकी पत्नी भागीरथराम दर्ज है जबकि वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज में सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम के नाम से बने हुवे है। इसलिये वादिनी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वादिनी को चुकी पत्नी भागीरथराम के स्थान पर सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम पटवारी रिपोर्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का श्रम करावें। वादिनी अपने साक्ष्य का शपथ पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1, दिपक पुत्र रामलाल ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–2, रामरख पुत्र भीखाराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–3 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादिनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम रणजीतनगर पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 142/119 रकबा 2.9299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/120 रकबा 0.7770 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142/4 रकबा 3.9335 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में चुकी पत्नी भागीरथराम दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैक डायरी, शपथ–पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत चन्द्रनगर पंचायत समिति लोहावट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम है। वादिनी के बयान पी.डब्लू–1 में विक्रय पत्र की चित्र प्रति प्रदर्श–1, आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श–2ए, ग्राम पंचायत चन्द्रनगर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति प्रदर्श–3, वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 प्रदर्श–4, शपथ–पत्र प्रदर्श–5 है। वादिनी को चुकी पत्नी भागीरथराम के स्थान पर सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रणजीतनगर पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 142/119 रकबा 2.9299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/120 रकबा 0.7770 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142/4 रकबा 3.9335 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम चुकी पत्नी भागीरथराम के स्थान पर सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी चन्द्रनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी

–वादिनी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 109/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम रणजीतनगर पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 142/119 रकबा 2.9299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/120 रकबा 0.7770 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142/4 रकबा 3.9335 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम चुकी पत्नी भागीरथराम के स्थान पर सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.01.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।